# भ्रूण लिंग परीक्षण एवं लिंग आधारित गर्भपात की सूचना देने वाले व्यक्ति हेतु पुरस्कार योजना

भ्रूण लिंग परीक्षण एवं लिंग आधारित गर्भपात पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1996 से पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट (Pre Conception & Pre Natal Diagnostic Techniques Act) लागू किया गया है। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक्ट का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की सूचना देने वाले सूचनाकर्ता को वर्तमान में रू. 10 हजार पुरस्कार पाने की पात्रता है। निरन्तर गिरते हुए लिंगानुपात को देखते हुए तथा इस योजना को और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ने नियम का उल्लंघन करने की सूचना देने वाले को प्रथम चरण में रू. 50 हजार तथा दोषी व्यक्ति के विरूद्ध दंण्डात्मक कार्यवाही होने की दशा में द्वितीय चरण में रूपये 50 हजार, इस प्रकार कुल 1 लाख रूपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है।

अतः पुरस्कार प्राप्ति हेतु शिकायतकर्ता को निम्नांकित साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसकी पुष्टि संबंधित जिले के समुचित प्राधिकारी अथवा राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समिति द्वारा की जायेगी –

1. अवैधानिक प्रचार प्रसार – किसी आनुवांशिक काउंसिलिंग सेन्टर, आनुवांशिक प्रयोगशाला, आनुवांशिक परामर्श केन्द्र तथा आनुवांशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक द्वारा लिंग निर्धारण संबंधित प्रचार प्रसार किया जाता है तथा इसकी शिकायत प्राप्त होती है। उस स्थिति में निम्न बिन्दुओं की पुष्टि की जाना प्रस्तावित है –

   (अ) उस समाचार पत्र अथवा पत्रिका का नाम, प्रकाशन की तिथि प्रकाशित सत्यापित कतरन तथा यदि प्रकाशन हेतु कोई आदेश उपलब्ध है तो उसकी प्रति ।
   (ब) विज्ञापनकर्ता (Advertiser) का नाम तथा व्यवसाय का स्थान ।
   (स) क्लिनिक केन्द्र अथवा प्रयोगशाला के धारक का नाम जिसके द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है।
   (द) वितरणकर्ता (Distributor) का नाम तथा व्यवसाय का स्थान ।
   (इ) विज्ञापन का फोटोग्राफ, होर्डिंग, वालपेंटिंग अथवा बोर्ड का फोटोग्राफ जिसमें विज्ञापन मौजूद है।
   (क) लेटर हेड नियमावली (Memorandum of Association), वार्षिक रिपोर्ट, संस्था की संरचना तथा स्वामित्व, वितरक दर्शाने वाले दस्तावेज । इस जानकारी के द्वारा व्यक्ति का उल्लंघन से संबंध स्थापित किया जा सकेगा।

2. यदि कोई चिकित्सक भ्रूण लिंग परीक्षण कर भ्रूण लिंग की जानकारी जाँच करवाने वाले को उपलब्ध कराता है तो ऐसी स्थिति में निम्न दस्तावेजों के द्वारा साक्ष्य एकत्र किये जा सकते है –

अ. रेफरल स्लिप
ब. सहमति पत्र
स. प्रयोगशाला का परिणाम
द. सूक्ष्मदर्शी के चित्र
इ. सोनोग्राफी के प्लेट्स अथवा स्लाइडस
क. रजिस्टर्स जिसमें मरीज का नाम, पता दर्ज है
ख. मरीज की केस हिस्ट्री
ग. हितग्राही के वह रिकार्ड जो कम्प्यूटर अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण में दर्ज किये गये हैं वे प्रिंटेट कॉपी अथवा फ्लापी में प्राप्त किये जाये।
घ. गर्भ में उपस्थित भ्रूण की अल्ट्रासाउंड इमेज की फ्लापी अथवा प्रिंटेड कॉपी ।
ड.. हितग्राही द्वारा प्राप्त की गई फीस की रसीद तथा चेक इत्यादि की विस्तृत जानकारी ।

उपरोक्त सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने पर सूचनाकर्ता को पुरस्कार की पात्रता होगी।

3. स्टिंग आपरेशन को भी योजना के अन्तर्गत प्रभावी साक्ष्य के रूप में मान्य किया गया है। स्टिंग आपरेशन के अन्तर्गत जो महिला डेकाय विटनेस (ट्रेप विटनेस) की भूमिका निभाती है उसकी गवाही मान्य होगी यदि छुपे हुए टेप रिकार्डर अथवा कैमरा द्वारा डॉक्टर तथा डेकाय विटनेस के बीच हुई बातचीत प्रमाणित होती है। यदि टेप रिकार्ड अथवा वीडियो कैमरा नही है तो समुचित प्राधिकारी द्वारा मौके पर की गई निरीक्षण की कार्यवाही मान्य होगी ।

जब भी डेकाय विटनेस को प्रयुक्त किया जाये तो उनसे शपथ पत्र पर यह लिखवाना आवश्यक होगा कि यह कार्य वे मानवता के संरक्षण तथा जनता के हित में समुचित प्राधिकारी को सहायता देने हेतु स्वेच्छा से बिना किसी पूर्वाग्रह के कर रहे है।

4. यदि कोई महिला अपने रिश्तेदारों के विरूद्ध शिकायत करती है कि उसे भ्रूण लिंग परीक्षण कराने हेतु बलपूर्वक लाया गया है तो उसके रिश्तेदारों व करने वाले डाक्टर के विरूद्ध शिकायत मान्य की जायेगी । साक्ष्य हेतु समुचित प्राधिकारी द्वारा मौके पर की गई निरीक्षण की कार्यवाही मान्य होगी ।

प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम की ओर अधिक प्रभावी बनाने हेतु न सिर्फ व्यापक जन जागरण आवश्यक है, बल्कि प्रसव पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण को रोकना और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही भी आवश्यक है। इसमें मुख्य समस्यायें सही समय पर भ्रूण लिंग परीक्षण की जानकारी प्राप्त होना, समस्त साक्ष्यों को एकत्रित किया जाना, तत्परता से कानूनी कार्यवाही की जाना, दोषियों को सजा दिलाने तक प्रयास जारी रखना आदि है। इसे दृष्टिगत रखते हुए एक पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है।

# मध्यप्रदेश शासन
## लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
## मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक–3/2008/1429 भोपाल, दिनांक : 09.07.08

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर एवं
   जिला समुचित प्राधिकारी
   पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी.
   मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं
   स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश

विषयः भ्रूण लिंग परीक्षण एवं लिंग आधारित गर्भपात की सूचना देने वाले व्यक्ति को पुरस्कार देने बाबत्।

संदर्भः प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कार्यालय से जारी आदेश क्रमांक 3374/06–07 भोपाल, दिनांक 26.10.2006.

भ्रूण लिंग परीक्षण एवं लिंग आधारित गर्भपात पर नियंत्रण हेतु भारत सरकार के द्वारा वर्ष 1996 से पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट (Pre Conception & Pre Natal Diagnostic Techniques Act) लागू किया गया है। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के अन्तर्गत एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक्ट का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की सूचना देने वाले सूचनाकर्ता को संदर्भित पत्र के अनुसार रू. 10 हजार पुरस्कार पाने की पात्रता है। निरन्तर गिरते हुए लिंगानुपात को देखते हुए तथा इस योजना को और प्रभावशाली बनाने के उद्देश्य से शासन ने नियम का उल्लंघन करने की सूचना देने वाले को प्रथम चरण में रू. 50 हजार तथा दोषी व्यक्ति के विरूद्ध दंण्डात्मक कार्यवाही होने की दशा में द्वितीय चरण में रूपये 50 हजार, इस प्रकार कुल 1 लाख रूपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है।

प्रथम चरण के पुरस्कार प्राप्ति हेतु शिकायतकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसकी पुष्टि संबंधित जिले के समुचित प्राधिकारी अथवा राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समिति द्वारा की जायेगी। भ्रूण लिंग परीक्षण एवं लिंग आधारित गर्भपात के अवैधानिक प्रचार प्रसार की स्थिति में निम्न बिन्दुओं की पुष्टि आवश्यक है–

(अ) उस समाचार पत्र अथवा पत्रिका का नाम, प्रकाशन की तिथि प्रकाशित सत्यापित कतरन तथा यदि प्रकाशन हेतु कोई आदेश उपलब्ध है तो उसकी प्रति ।
(ब) विज्ञापनकर्ता (Advertiser) का नाम तथा व्यवसाय का स्थान ।
(स) क्लिनिक केन्द्र अथवा प्रयोगशाला के धारक का नाम जिसके द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है।
(द) वितरणकर्ता (Distributor) का नाम तथा व्यवसाय का स्थान ।
(इ) विज्ञापन का फोटोग्राफ, होर्डिंग, वालपेंटिंग अथवा बोर्ड का फोटोग्राफ जिसमें विज्ञापन मौजूद है।

(क) लेटर हेड नियमावली (Memorandum of Association), वार्षिक रिपोर्ट, संस्था की संरचना तथा स्वामित्व, वितरक दर्शाने वाले दस्तावेज । इस जानकारी के द्वारा व्यक्ति का उल्लंघन से संबंध स्थापित किया जा सकेगा।

यदि कोई चिकित्सक भ्रूण लिंग परीक्षण कर भ्रूण लिंग की जानकारी जाँच करवाने वाले को उपलब्ध कराता है तो ऐसी स्थिति में निम्न दस्तावेजों के द्वारा साक्ष्य एकत्र किये जा सकते है –

अ. रेफरल स्लिप
ब. सहमति पत्र
स. प्रयोगशाला का परिणाम
द. सूक्ष्मदर्शी के चित्र
इ. सोनोग्राफी के प्लेट्स अथवा स्लाइडस
क. रजिस्टर्स जिसमें मरीज का नाम, पता दर्ज है
ख. मरीज की केस हिस्ट्री
ग. हितग्राही के वह रिकार्ड जो कम्प्यूटर अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण में दर्ज किये गये हैं वे प्रिंटेट कॉपी अथवा फ्लापी में प्राप्त किये जाये।
घ. गर्भ में उपस्थित भ्रूण की अल्ट्रासाउंड इमेज की फ्लापी अथवा प्रिंटेड कॉपी ।
ड.. हितग्राही द्वारा प्राप्त की गई फीस की रसीद तथा चेक इत्यादि की विस्तृत जानकारी ।

उपरोक्त सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने पर सूचनाकर्ता को पुरस्कार की पात्रता होगी।

स्टिंग आपरेशन को भी योजना के अन्तर्गत प्रभावी साक्ष्य के रूप में मान्य किया गया है।स्टिंग आपरेशन के अन्तर्गत जो महिला डेकाय विटनेस की भूमिका निभाती है उसकी गवाही मान्य होगी। यदि टेप रिकार्ड अथवा वीडियो कैमरा नही है तो समुचित प्राधिकारी द्वारा मौके पर की गई निरीक्षण की कार्यवाही मान्य होगी ।

जब भी डेकाय विटनेस को प्रयुक्त किया जाये तो उनसे शपथ पत्र पर यह लिखवाना आवश्यक होगा कि यह कार्य वे मानवता के संरक्षण तथा जनता के हित में समुचित प्राधिकारी को सहायता देने हेतु स्वेच्छा से बिना किसी पूर्वाग्रह के कर रहे है।

4. यदि कोई महिला अपने रिश्तेदारों के विरूद्ध शिकायत करती है कि उसे भ्रूण लिंग परीक्षण कराने हेतु बलपूर्वक लाया गया है तो उसके रिश्तेदारों व करने वाले डाक्टर के विरूद्ध शिकायत मान्य की जायेगी। साक्ष्य हेतु समुचित प्राधिकारी द्वारा मौके पर की गई निरीक्षण की कार्यवाही मान्य होगी ।

कृपया इसका अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किया जाये। उक्त पुरस्कार की राशि का भुगतान पूर्व की भाँति आरसीएच कार्यक्रम के अन्तर्गत आरसीएच फलैक्सी पूल/पीसी पीएनडीटी एक्ट मद से किया जायेगा।

(अलका उपाध्याय)
सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
मध्यप्रदेश शासन, भोपाल

# प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुरस्कार योजना

प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम की ओर अधिक प्रभावी बनाने हेतु न सिर्फ व्यापक जन जागरण आवश्यक है, बल्कि प्रसव पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण को रोकना और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही भी आवश्यक है। इसमें मुख्य समस्यायें सही समय पर भ्रूण लिंग परीक्षण की जानकारी प्राप्त होना, समस्त साक्ष्यों को एकत्रित किया जाना, तत्परता से कानूनी कार्यवाही की जाना, दोषियों को सजा दिलाने तक प्रयास जारी रखना आदि है। इसे दृष्टिगत रखते हुए एक पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है।

इस योजना के तहत प्रसव पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले को तत्काल राशि रूपये 50,000 तथा दोषी व्यक्ति के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही होने की दशा में राशि रूपये 50,000 अतिरिक्त प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पुरस्कार प्राप्त करने हेतु शिकायतकर्ता को आवश्यक साक्ष्य भी उपलब्ध कराने होंगे। इस हेतु किये गये स्टिंग ऑपरेशन की योजना के अन्तर्गत प्रभावी साक्ष्य के रूप में मान्य किया गया है तथा इसे प्रोत्साहित किया गया है।